मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 454] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 सितम्बर, 2010—भाद्र 25, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर, 2010

क्र. 5757-319-21-अ-(प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 सितम्बर, 2010 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २५ सन् २०१०

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम २०१०.

[दिनांक 7 सितम्बर, 2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 16 सितम्बर, 2010 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ. १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ११ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ११ में, उपधारा (१) में, खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(छ) मण्डी क्षेत्र में काम कर रहे ऐसे तुलैयों तथा हम्मालों का एक प्रतिनिधि जिसे कि इस अधिनियम के अधीन किसी मण्डी समिति से ऐसे तुलैये तथा हम्माल के रूप में लगातार दो वर्षों से अनुज्ञप्ति धारण कर रहे ऐसे तुलैयों तथा हम्मालों द्वारा तथा उन्हीं के बीच से ऐसी रीति में चुना गया हो जो कि विहित की जाए:

परन्तु धारा १० के अधीन प्रथम बार स्थापित किसी मण्डी समिति की दशा में, ऐसी मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति धारण करने की अर्हकारी कालावधि छह मास होगी;".

धारा ४१ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ४१ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ञ) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(ट) ऐसे तुलैयों तथा हम्मालों का एक प्रतिनिधि, जो राज्य के भीतर की किसी मण्डी समिति से तुलैए तथा हम्माल के रूप में लगातार दो वर्षों की कालावधि से अनुज्ञप्ति धारण किये हुए हो:

परन्तु धारा १० के अधीन प्रथम बार स्थापित किसी मण्डी समिति की दशा में, ऐसी मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति धारण करने की अर्हकारी कालावधि छह मास होगी.".

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2010

क्र. 5757-319-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 25 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 25 of 2010.

THE MADHYA PRADESH KRISHI UPAJ MANDI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2010.

[Received the assent of the Governer on the 7th September, 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 16th September, 2010].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 11.

2. In Section 11 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act), in sub-section (1), for clause (g), the following clause shall be substituted, namely :—

"(g) One representative of the weighmen and hammals operating in the marketing area elected in such manner as may be prescribed, by and from amongst the weighmen and hammals holding licence from a market committee for a period of two successive years as a weighman and hammal under this Act :

Provided that in case of market committee established for the first time under section 10, the qualifying period of holding licence from such market committee shall be six months;".

Amendment of Section 41.

3. In Section 41 of the Principal Act, in sub-section (1), in clause (j), for full stop, the semi colon shall be substituted and thereafter the following clause shall be added, namely :—

"(k) One representative of weighmen and hammals holding licence as a weighman or hammal in any market committee within the State for a period of two successive years :

Provided that in case of market committee established for the first time under section 10, the qualifying period of holding licence from such market committee shall be six months.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.